न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–27/2018

CIS NO-TS- 167/2018

सुशील सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मजहर मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 01.02.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 28.06.2023 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण की तरफ से संशोधन आवेदन आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 01.02.2023 को दाखिल किया गया था। वादीगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ लाया गया है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। नालिश को देखने से स्पष्ट हुआ है कि नालिश में पूर्व से दिये गये तथ्यों पर अधिक स्पष्ट किया जाना जरूरी है। इसके अलावा नालिश में चंद जगह टाईपिस्ट की गलती से अशुद्धि आ गयी है। जिसे सुधार करना आवश्यक है। वादीगण के द्वारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 24.05.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से पोषणीय नही है। वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है तथा विचारण शुरू हो गया है। प्रतिवादी दिनांक 03.11.2017 से ही अपनी खरीदी हुई जमीन पर वास्तविक कब्जें में है। वादीगण के संशोधन आवेदन से वाद की प्रकृति बदल जायेगी। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रारंभिक अवस्था में है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–27/2018
CIS NO-TS- 167/2018

सुशील सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मजहर मियाँ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.06.2023	आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादीगण द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादीगण भी वादपत्र में किये गये संशोधन की सीमा तक चाहे तो अपने प्रतिवाद पत्र में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। वाद दिनांक 05.07.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	